न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2012

अनवान : –

1. भागमल पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर–फौत

1/1. पार्वती देवी पत्नी भागमल 1/2. प्रियंका पुत्री भागमल 1/3. प्रियंका पुत्री भागमल – सायलान

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
2. कालुराम पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
3. डालचन्द पुत्र गगुराम जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा साकिन चक 25 एन. टी.आर. तहसील नोहर
5. नारायणी पत्नी फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
6. भागमल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
7. मुन्नी पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
8. महेन्द्रसिंह पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
9. राकेश पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा साकिन चक 25 एन. टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. संन्तोष पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
11. सावित्री पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर
12. सोहनलाल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

अवमानना याचिका अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 2(क) सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 12/09/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि सायल ने गैरसायलान के खिलाफ एक वाद वास्ते खाता तकसीम एवं स्थाया निशेधाज्ञा पेश किया एवं उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वे विवादित भूमि चक न. 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर जमाबन्दी के खाता संख्या 77/63 की कुल 3.2890 हैक्टेयर भूमि एवं चक न. 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर जमाबन्दी के खाता संख्या 78/64 की कुल 10.6260 हैक्टेयर भुमि में जब तक खाता एवं लगान अलग नहीं हो जाता तब तक भूमि पर किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य आदि नहीं करे एवं गैरसायलान, सायल के कब्जा कास्त में मदाखलत बैजा ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा ने दिनांक 2[illegible] [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को प्रकरण संख्या 193 सन् 2022 [illegible] गैरसायलान को जरिये [illegible] निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पाबन्द किया कि वे विवादित भूमि चक न. 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर जमाबन्दी के खाता संख्या 77/63 की कुल 3.2890 हैक्टेयर भूमि एवं चक न. 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर जमाबन्दी के खाता संख्या 78/64 की कुल 10.6260 हैक्टेयर भुमि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आगामी तारीख पेशी तक अकृषि प्रयोग न किया जावे एवं तारीख पेशी दिनांक 21-9-2022 रखी गई है।

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25-8-2022 की पालना में गैरसायलान की तामील जरिये रजिस्टर्ड समन दिनांक 29-8-2022 को करवादी गई एवं अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना बाबत् तहसीलदार राजस्व भागमल बनाम जगदीश आदि नोहर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 30-8-2022 को गैरसायलान को निर्माण कार्य बन्द करने हेतु पाबन्द किया तब मोके पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं करने के माननीय हाजा द्वारा पारीत आदेश के बावजूद भी मोके पर दिनांक 4-9-2022 व 5-4-2022 की रात्री को आपसी षड्यन्त्र रचकर निर्माण कार्य किया है जिसका पता चलने पर सायल ने पुलिस थाना में कार्यवाही करनी चाही लेकिन पुलिस थाना ने कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया एवं गैरसायलान को निर्माण नहीं करने बाबत् कहा लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा की उन्हें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25-8-2022 का प्रथम दिन से ही ज्ञान है इसलिए उन्होने जानबुझ कर न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 25-8-2022 की अवज्ञा करके उपरोक्त कृत्य कारित कर मोका की यथास्थिति में परिर्वतन कर सायल को नुकसान कारित किया है ओर अपराधिक कृत्य को बढावा दिया है।

गैरसायलान ने मान्नीय न्यायालय के आदेश का खुल्ले आम उल्लंघन किया है ओर मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा कर रहें हैं यदि इस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा होती रही तो जनता का न्यायालयो से विश्वास खत्म हो जावेगा एवं जंगज राज हो जावेगा इसलिए गैरसायलान को माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के दोषी करार दिया जाना आवश्यक है।

लिहाजा अवमानना याचिका पेश कर अर्ज है कि अवमानना याचिका सायल स्वीकार कर गैरसायलान न. 1, 2, 5 ता 8, 10 ता 12 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-8-2022 की अवज्ञा के कारण उपरोक्त गैरसायलान को सिविल जेल भिजवाया जाकर गैरसायलान की चल व अचल सम्पति कुर्क किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1, 6 व 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स0 1, 6, 12 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदातागणो को उक्त स्थगन का ज्ञा नही नही था उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ एवं उत्तरदाता को कभी भी कोई कर्मचारी अधिकारी ढाणी व खेत में नहीं गया और न ही सूचना दी गई एवं उत्तरदाता ने किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जबकि पूर्व में निर्मित ढाणी की मरम्मत की थी एवं ढाणी जर-जर हो चुकी थी यह किसी भी सुरत में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है [illegible] रह रहे अपने परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार से हानि न हो इसलिए [illegible] की मरम्मत करवाई है एवं अपने परिवार की जान माल को सुरक्षित [illegible] जानमाल को बचाना किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधि[illegible]
नोहर

सुरत में अपराध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 25.08.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की उक्त भूमि में अकृषि कार्य न किया जावे प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि में निर्माण किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है एवं प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन की चित्रप्रति के मुताबिक दिनांक 29.08.2022 को सम्मन जारी किये गये जबकि स्थगन आदेश दिनांक 25.08.2022 को जारी किया गया है प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 04.09.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण किया गया है जबकि पटवारी के मौका रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में निर्मित मकानो के स्थान पर ही निर्माण किया गया है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नही की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने/स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested